

२३/०८/१६

यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद सं० १०८/१४ धारा ३२३/५०४/५०६
भा०द०स० थाना कम्पिल मे आवेदक श्रीमती रामा द्वारा दाखिल किया गया हैं।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा मे हैं

मामले के तथ्य व परिस्थितियो जमानत आधार पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त द्वारा
मु० २००००/-रूपये की दो जमानते व इसी धनराशि का बन्ध पत्र दाखिल करने
पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

जे०एम० कायमगंज